न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–30–06–2010

मुकदमा नम्बर 177 / 2010

1. मन्नी देवी पत्नी धन्नाराम पुत्री भगवानाराम जातिज जाट निवासी मोहनवाडी हाल आबाद निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनु राजस्थान।
2. मैना देवी पत्नी श्री रणवीर पुत्री श्री भगवाराना राम जाति जाट निवासी मोहनवाडी हाल आबाद बेरी तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. मंशी देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजेश कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. प्रहलाद पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. महेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. मंजू देवी पत्नी श्री महेश कुमार पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद भानपुरा पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. सुमन देवी पत्नी शीशपाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद भैरू का बास तन झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. बबीता पत्नी श्री शिशराम जाति जाट निवासी मोहन[illegible] आबाद भैरू का बास तन झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. बिमला देवी पत्नी रणजीत पुत्री भगवाराना राम जाति [illegible] निवासी मोहनवाडी हाल आबाद बेरी तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
10. छोटी देवी पुत्री श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

(29)

11. ग्रेसिस सीमेन्ट तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू प्रधान कार्यालय श्री श्यामकुंज बसन्त बिहार सीकर जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ए.बी.पी. रमेश कुमार मिश्रा।
12. राकेश मिश्रा पुत्र श्री सुरेश चन्द मिश्रा जाति ब्राहमण निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर पदेन ए.वी. पी. ग्रेसिस सीमेन्ट नवलगढ कार्यालय श्री श्यामकुंज बसन्त बिहार सीकर।
13. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. उप पंजीयक नवलगढ जिला झुन्झुनू
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टरर झुन्झुनू।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : — श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रति॰ :— एक पक्षीय

दावा : बाबत घोषित करने विधिक प्रस्थिति व
शून्य घोषित किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010
एव स्थाई व्यादेश अन्तर्गत धारा 34, 31, 38, 39
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम

——

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनांक— 20—04—2022

वादी द्वारा संशोधित टाईटल का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण ने दावा माननीय न्यायलाय सिविल न्यायालय में दिनांक 12.03.2012 को पेश किया गया जिसका आदेश दिनांक 10.10. 2019 को श्रीमान न्यायालय ने आदेश पारित किया कि राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार के कारण न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है। पत्रावली मूल ही वापस लौटा दी है पत्रावली में गवाह के बयान हो चुके है तथा प्रतिवादी की एक्स पार्टी भी हो चुकी है।

यह है कि उक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है जिसमें न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की जगह न्यायालय सहायक कलक्टर पढ़ा जावे।

वाद—पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :— वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 लगायत 10 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 2 के पति स्व0 भगवानारमा का स्वर्गवास दिनांक 13.022006 को हो चुका है। स्वर्गीय भगवानाराम की मृत्यु के समय भगवानाराम के वारीसानों में उनकी 7 पुत्रियां वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 10 व 4 पुत्र प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 लगायत 5 व पत्नी प्र[illegible]र 2 जीवित थे।

वाके ग्राम मोहनवाडी की सरहद में [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 र[illegible] 864 / 153 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 हैक्टर स्थित है। आगे वाद—पत्र में उक्त भूमि [illegible] वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 06 लगायत 10 का जन्म ग्राम मोहनवाडी में स्व0 भगवानाराम के घर में हुआ था, तथा वादीगण की शादी वादीगण के पिता के पैतृक घर ग्राम मोहनवाडी में हुई थी, तथा प्रतिवादी नम्बर 06 लगायत 9 की शादी भी ग्राम मोहनवाडी में हुई थी, तथा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 9 की शादी में कन्यादान का दस्तुर भी वादीगण के पिता स्वर्गीय भगवानाराम ने ही किया था।

वाद–पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण के पिता स्व0 भगवानाराम ने अपनी जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नही की थी, अर्थात उपरोक्त वादग्रस्त भूमि भगवानाराम की निर्वसियती सम्पति रही है, जिसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण को भगवानाराम की सम्पति मे 1/12–1/12 हिस्सा उतराधिकार में प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साजिस करके उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम के वारिसों की जगह केवल प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 का नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादीगण ने अपने अंश को किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अन्तरित नही किया है। इस कारण वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत होने के कारण वादीगण के हक, अधिकारों पर प्रभावी नही है।

प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र 11 के पक्ष में उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ में निष्पादित करवाया है, जो वादीगण के हक अधिकारो पर शून्य प्रभावी है।

वादग्रस्त भूमि कें वादीगण का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि मे से अपने उक्त हिस्से को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 को ना तो अन्तरित किया था, तथा ना ही वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अपने उक्त हिस्से को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 की संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 06 लगायत 10 के बराबर ही हक, अधिकार हिस्सा है। अर्थात वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। इसी अनुसार हक, अधिकार प्राप्त है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को प्रतिवादी नम्बर 11 के पक्ष मे तस्दीक करवाया है, जबकि वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 को कभी अधिकृत नही किया था। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के लिए सक्षम नही होने के कारण उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

वादीगण दिनांक 20.01.2012 को वादग्रस्त भूमि में अपने अंश की सा[illegible] के लिए गई तथा अपने अंश में काम कर रही थी। उस समय प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 व प्रतिवादी [illegible] व 12 आये, तथा वादीगण को धमकी दी कि जमीन हमारी है। आप यहां से चुपचाप चली जाओं। इस पर वादीगण ने कहा कि यह भगवानाराम की सम्पति है, तथा हम भगवानाराम की पुत्रियां है। इस कारण से इस जमीन में हक व हिस्सा है, तो प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादीगण को भगवानाराम की पुत्री मानने से इन्कार कर दिया एवं वादग्रस्त भूमि मं से वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

का अंश व हिस्सा मानने से इन्कार कर दिया। इस कारण वादीगण को यह वाद बाबत विधिक प्रारिथति की घोषणार्थ पेश करना आवश्यक हुआ, एवं वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 वादीगण द्वारा निष्पादित नही किया गया है, तथा ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अधिकृत किया है, तथा ना ही प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का कानूनन अधिकार था, इस कारण उक्त विकय पत्र कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से शून्य प्रभावी दस्तावेजात है, इस कारण वादीगण को वाद बाबत शून्य प्रभावी घोषित करने विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण अपने पिता स्वर्गीय श्री भगवानाराम की जायन्दा पुत्रियां है, जिनका अपने पिता की सम्पति में 1/12–1/12 हिस्सा है, तथा 1/12–1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 10 का है। वादीगण अपने पिता की सम्पति में अपना हिस्सा 1/12–1/12 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादीगण अपने पिता की सम्पति में अपने अंश को सम्भालने गई व काम कर रही थी, तो प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व 11 व 12 आये और वादीगण को कहा कि जमीन हमारी है, तुम यहां से चुपचाप चली जाओ, वराना जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देंगे। इस प्रकार वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में पड़ता है, प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर वादीगण को अपने हक अधिकारों की सम्पति से बेदखल कर देगे तो वादीगण को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 स्थाई व्यादेश से पाबन्ध फरमाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई व्यादेश पेश किया गया है।

यह है कि उक्त के लिए वादकारण वादीगण अपने पिता स्वर्गीय भगवानाराम की पुत्री होने के रोज, प्रतिवादी नम्बर 01 व 2 द्वारा वादीगण को स्वर्गीय भगवानाराम की पुत्री मानने से इन्कार होने के रोज व दिनांक 20.01.2012 को प्रतिवादी नम्बर 1, 2 11 व 12 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के रोज, दिनांक 04.01.2012 को विक्रय पत्र तस्दीक होने के रोज, तथा दिनांक 25.01.2012 को विक्रय–पत्र की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।

यह है कि 13 लगायत 15 सरकारी लोक सेवक है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस अन्तर्गत धारा 80सीपीसी दिया जाना आवश्यक है, परन्तु उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का है, इसिलए 2 माह2का नोटिस देकर वाद पेश किया जायेगा तो वादीगण को उक्त वाद पेश करने का कोई औचित्य नही रहेगा, इसलिए प्रतिवादी नम्बर 13 लगायत 15 के विरूद्ध वाद पेश करने ... बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी अलग से पेश है।

वाद में वादग्रस्त भूमि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तथा पक्षकारान वाद भी श्रीमानजी के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में निवास करते है, इसलिए उक्त वाद सु... का न्यायालय को पूरा–पुरा क्षेत्राधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिसमे वादीगण का 2/12 हिस्सा है, जिसका लगान 3.69 रूपये है, इस कारण वादग्रस्त भूमि की मालियत राजस्थान कोर्ट फीस एवं वाद मूल्याकंन अधिनियम के अनुसार 95 रूपये बनती है। उक्त मालियत का वाद सुनने का श्रीमानजी को पूरा–पूरा श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उक्त वाद की मालियत 92.25 पैसे है, इसलिए उक्त वाद 50/– रूपये न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि :–

(क) वादीगण को मृतक भगवानाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाडी की पुत्रियां घोषित कर विवादित भूमि कें से वादीगण का 1/12–1/1/12 यानि कुल 1/6 अंश प्राप्त करने की अधिकारी घोषित किया जावे।

(ख) वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 को शून्य प्रभावी घोषित किया जावे।

(ग) वादग्रस्त भूमि बाबत स्थाई व्यादेश इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 वादीगण के अंश की सम्पति के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे तथा ना ही अपने आदमियों से करावे एवं प्रतिवादी नम्बर 13 को इस आशय की आदेशात्मक व्यादेश से आदेशित किया जावे कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

(घ) अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादीगण के हक में पड़ती हो, दिलवाई जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादीगण का वाद–पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नवलगढ द्वारा क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होने के कारण वाद–पत्र अन्तरित किया गया जो बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के यहां तलबी की समस्त कार्यवाही हो चुकी जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05, 13, 14 के खिलाफ दिनांक 25.07.2015 को व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 12 व 15 के खिलाफ को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

वाद में प्रतिवादी पक्ष के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने के कारण तनकियात कायम नही की गई।

माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश व[illegible] मौखिक साक्ष्य में PW 01 मन्नी देवी, PW 02 विमला देवी, PW 03 मैना देवी तथा PW 04 [illegible] के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी [illegible] प्रदर्श–1 व विक्रय–पत्र दिनांकित 04.01.2010 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 02, जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 प्रदर्श–4, जमाबंदी सम्वत् 2057–2060 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2053–2056 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2043प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2045–2048 प्रदर्श–7 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फ्र. ट्रे.)
नवलगढ

वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यू 01 मनी देवी ने दावे में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृति करते हुए अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पर में यह कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 लगायत 10 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 2 के पति स्व0 भगवानाराम का स्वर्गवास दिनांक 13.02.2006 को हो चुका है। स्वर्गीय भगवानाराम की मृत्यु के समय भगवानाराम के वारीसानों में उनकी 7 पुत्रियां वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 10 व 4 पुत्र प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 लगायत 5 व पत्नी प्रतिवादी नम्बर 2 जीवित थे। वाके ग्राम मोहनवाडी की सरहद में भूमि नये खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 864/153 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 हैक्टर स्थित है। आगे वाद–पत्र में उक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 06 लगायत 10 का जन्म ग्राम मोहनवाडी में स्व0 भगवानाराम के घर में हुआ था, तथा वादीगण की शादी वादीगण के पिता के पैतृक घर ग्राम मोहनवाडी में हुई थी, तथा प्रतिवादी नम्बर 06 लगायत 9 की शादी भी ग्राम मोहनवाडी में हुई थी, तथा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 9 की शादी में कन्यादान का दस्तुर भी वादीगण के पिता स्वर्गीय भगवानाराम ने ही किया था। वाद–पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण के पिता स्व0 भगवानाराम ने अपनी जीवनकाल में कोई वसियत निष्पादित नही की थी, अर्थात उपरोक्त वादग्रस्त भूमि भगवानाराम की निर्वसियती सम्पति रही है, जिसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण को भगवानाराम की सम्पति मे 1/12–1/12 हिस्सा उतराधिकार में प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साजिस करके उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम के वारिसों की जगह केवल प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 का नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादीगण ने अपने अंश को किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अन्तरित नही किया है। इस कारण वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत होने के कारण वादीगण के हक, अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र 11 के पक्ष में उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ में निष्पादित करवाया है, जो वादीगण के हक अधिकारो पर शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि कें वादीगण का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि मे से अपने उक्त हिस्से को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 को ना तो अन्तरित किया था, तथा ना ही वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अपने उक्त हिस्से को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 की संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 06 लगातय 10 के बराबर ही हक, अधिकार हिस्सा है। अर्थात वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 06 लगायत 10 का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। इसी अनुसार हक, अधिकार प्राप्त है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को प्रतिवादी नम्बर 11 के पक्ष में तस्दीक करवाया है, जबकि वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को कभी अधिकृत नही किया था। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के लिए सक्षम नही होने के कारण उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण दिनांक 20.01.2012 को वादग्रस्त भूमि में अपने अंश को सम्भालने के लिए गई तथा अपने अंश में काम कर रही थी। उस समय प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 व प्रतिवादी नम्ब्र 11 व 12 आये, तथा वादीगण को धमकी दी कि जमीन हमारी है। आप यहां से चुपचाप चली जाओं। इस पर वादीगण ने कहा कि यह भगवानाराम की सम्पति है, तथा हम भगवानाराम की पुत्रियां है। इस कारण से इस जमीन में हक व हिस्सा है, तो प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादीगण को भगवानाराम की पुत्री मानने से इन्कार कर दिया एवं वादग्रस्त भूमि मं से वाददीगण का अंश व हिस्सा मानन से इन्कार कर दिया। इस कारण वादीगण को यह वद बाबत विधिक प्रास्थिति की घोषणार्थ पेश करना आवश्यक हुआ, एवं वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 वादीगण द्वारा निष्पादित नही किया गया है, तथा ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अधिकृत किया है, तथा ना ही प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का कानूनन अधिकार था, इस कारण उक्त विकय पत्र कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से शून्य प्रभावी दस्तावेजात है, इस कारण वादीगण को वाद बाबत शून्य प्रभावी घोषित करने विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण अपने पिता स्वर्गीय श्री भगवानाराम की जायन्दा पुत्रियां है, जिनका अपने पिता की सम्पति में 1/12–1/12 हिस्सा है, तथा 1/12–1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 10 का है। वादीगण अपने पिता की सम्पति में अपना हिस्सा 1/12–1/12 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादीगण अपने पिता की सम्पति में अपने अंश को सम्भालने गई व काम कर रही थी, तो प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व 11 व 12 आये और वादीगण को कहा कि जमीन हमार है, तुम यहां से चुपचाप चली जाओ, वरना जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देंगे। इस प्रकार वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में पड़ता है, प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर वादीगण को अपने हक अधिकारों की सम्पति से बदेखल कर देगे तो वादीगण को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 स्थाई व्यादेश से पाबन्ध फरमाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई व्यादेश पेश किया गया है। उक्त के लिए वादकारण वादीगण अपने पिता स्वर्गीय भगवानाराम की पुत्री होने के रोज, प्रतिवादी नम्बर 01 व 2 द्वारा वादीगण को स्वर्गीय भगवानाराम की पुत्री मानने से इन्कार होने के रोज व दिनांक 20.01.2012 को प्रतिवादी नम्बर 1, 2 11 व 12 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के रोज, दिनांक 04.01.2012 को विक्रय पत्र तस्दीक होने के रोज, तथा दिनांक 25.01.2012 को विक्रय–पत्र की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिसमे वादीगण का 2/12 हिस्सा है, जिसका लगान 3.69 रूपये [illegible] कारण वादग्रस्त भूमि की मालियत राजस्थान कोर्ट फीस एवं वाद मूल्याकंन अधिनियम के अनुसार 95[illegible] है। उक्त मालियत का वाद सुनने का श्रीमानजी को पूरा–पूरा श्रवणाधिकार प्राप्त है। (क) वादीगण को [illegible] भगवानाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाडी की पुत्रियां घोषित कर विवादित भूमि के [illegible] वादीगण का 1/12–1/1/12 यानि कुल 1/6 अंश प्राप्त करने की अधिकारी घोषित किया जावे। (ख) वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 को शून्य प्रभावी घोषित किया जावे। (ग) वादग्रस्त भूमि बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रे.)
नयनगढ

स्थाई व्यादेश इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 वादीगण के अंश की सम्पति के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे तथा ना ही अपने आदमियों से करावे एवं प्रतिवादी नम्बर 13 को इस आशय की आदेशात्क व्यादेश से आदेशित किया जावे। गवाह ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2075–7078 प्रदर्श–1 व विक्रय–पत्र दिनांकित 04.01.2010 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 02, जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 प्रदर्श–4, जमाबंदी सम्वत् 2057–2060 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2053–2056 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2043प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2045–2048 प्रदर्श–7 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये।

गवाहान पीडब्ल्यू 02 विमला देवी, पीडब्ल्यू 03 मैना देवी तथा पीडब्ल्यू 04 महावीर प्रसाद ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्रां में सारतः पीडब्ल्यू 01 मन्न देवी के समान ही कथन अंकित किये है।

प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई है।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष की ओर से दावें अंकित कथनों की ही पुनरावृति करते हुए यह तक प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि मं वादीगण के पिता की मृत्यू निर्वसियती के रूप में होने के बाद वादी पक्ष एवं वादीगण की बहनों भाईयों व माता का 1/12–1/12 हिस्सा है। वादीगण के भाईयों बहनो व माता ने आपस में मिलकर दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में उप पंजीयक नवलगढ में तस्दीक करवाया है जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वे भी 1/12 हिस्से की अधिकारिणी है। अतः उक्त विक्रय पत्र को निरस्त किया जावे। उक्त वाद में वादी मालियत सम्पति के बाजार मूल्य के आधारपर तय की गई है। राजस्थान न्यायालय फीस एव वाद मूल्याकंन अधिनियम में बाजार मूल्य के अवधारण के प्रावधान है। अत में वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को मृतक भगवानाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी की पुत्रिया होने के कारण विवादित भूमि मे से वादीगण का 1/12–1/12 यानि कुल 1/6 अंश प्राप्त करने की अधिकारी घोषित करने, वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 को शून्य प्रभावी घोषित किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि बाबत स्थाई व्यादेश इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 11 व 12 वादीगण के अंश की सम्पति के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करे एवं प्रतिवादी सख्या 13 को तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु आदेशात्मक व्यादेश से आदेशित किये जाने के अनुतोष याचित कर वाद डिक्री किये जोन का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता का मनन किया गया। व साक्ष्य दस्तावेजी का अवलोकन किया गया। वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण के पिता स्व॰ भगवानाराम ने अपनी जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नही की थी, अर्थात उपरोक्त वादग्रस्त भूमि भगवानाराम की निर्वसियती सम्पति रही है, जिसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(36)

भगवानाराम की सम्पति मे 1/12–1/12 हिस्सा उतराधिकार में प्राप्त हुआ है, परन्तु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम के वारिसों की जगह केवल प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 का नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण ने अपने अंश को किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अन्तरित नही किया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत होने के कारण वादीगण के हक, अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र 11 के पक्ष में उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ में निष्पादित करवाया है, जो वादीगण के हक अधिकारो पर शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि कें वादीगण का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि मे से अपने उक्त हिस्से को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 को ना तो अन्तरित किया, ना ही वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अपने उक्त हिस्से को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 की संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 06 लगातय 10 के बराबर ही हक, अधिकार हिस्सा है। अर्थात वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 10 का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। इसी अनुसार हक, अधिकार प्राप्त है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को प्रतिवादी नम्बर 11 के पक्ष मे तस्दीक करवाया है, जबकि वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 को कभी अधिकृत नही किया था। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के लिए सक्षम नही होने के कारण उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। वादीगण अपने पिता स्वर्गीय श्री भगवानाराम की जायन्दा पुत्रियां है, जिनका अपने पिता की सम्पति में 1/12–1/12 हिस्सा है, जो प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 10 का है। वादीगण अपने पिता की सम्पति में अपना हिस्सा 1/12–1/12 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस प्रकार वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में पड़ता है, प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर वादीगण के हक अधिकारों कुठारधात हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 11 व 12 स्थाई व्यादेश से पाबन्ध फरमाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। वादी द्वारा याचित किये गये अनुतोष खण्ड पैरा संख्या 15 मे मुख्य अनुतोष (क) वादीगण को मृतक भगवानाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाडी की पुत्रियां होने के कारण विवादित भूमि में से वादीगण का 1/12–1/1/12 यानि कुल 1/6 अंश प्राप्त करने की अधिकारिणी होने की घोषणा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि उक्त अनुतोष वादीगण के वाद पत्र में अंकित अभिवचनों के अधार पर पर कृषि भूमि से संबंधित है जो घोषणा संबंधी अनुतोष [illegible] के अनुसार कृषि भूमि विभाजन, घोषणा से संबंधित समस्त वाद राजस्व न्यायालय हाजा के क्षेत्राधि[illegible] नि[illegible] है। यहां प्रकरण में मुख्य बिन्दु वादीगण के 1/12–1/12 हिस्से का है। विवादग्रस्त [illegible] राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है जो दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2043 जो प्रदर्श– 6, जमाबंदी सम्वत् 2045 से 2048 प्रदर्श–7, जमाबंदी 2053 से 2056 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श–4, जमाबंदी सम्वत 2064–2067 प्रदर्श–3 से सिद्ध होता है। ग्राम मोहनवाडी के खाता संख्या 144 पुराना 139 की जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:48:15 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ

सम्वत् 2064 से 2067 में भूमि के खातेदार भगवानाराम पुत्र लक्ष्मण राम कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भगवानाराम का फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 20.08.2008 के द्वारा केवल दयाराम, राजेश, प्रहलाद, महेन्द्र कुमार पिता भगवानाराम तथा मंशी देवी पत्नी भगवानाराम के नाम दर्ज किया गया है जबकि भगवानाराम की जायन्दा पुत्रिया जो वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 10 है, को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत रूप से वंचित कर दिया गया। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में समस्त वारिसो का हक हिस्सा रहता है तथा पिता की सम्पति में पुत्रियों का हक अधिकार बराबर–बराबर होता है। वादीगण के भाईयों बहनो व माता ने आपस में मिलकर दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में उप पंजीयक नवलगढ में तस्दीक करवाया है, जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वे भी 1/12 हिस्से की अधिकारिणी है जो विक्रय पत्र से प्रमाणित होता है। उक्त विक्रय पत्र को वादी गण के हक हिस्से तक शून्य किया जाना न्यायोचत है प्रतीत होता। उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि विवादग्रस्त भूमि स्व भगवारानाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। भगवाना के फौत होने पर विवादग्रस्त भूमि का विरासत का नामान्तरकण संख्या 543 दिनांक 20.08.08 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम ही गलत रूप से दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी गण 6 लगायत 10 को पिता की सम्पति से वंचित कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत एंव न्यायोचित है। अतः वादी वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम मोहनवाडी की सरहद में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 864/153 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 हैक्टर में वादीगण (प्रत्येक) को हिस्सा 1/12–1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उपपंजीयक कार्यालय से तस्दीक विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को वादीगण के हिस्से भूमि की हद तक शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested

38

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

दावा : बाबत घोषित करने विधिक प्रस्थिति व
शून्य घोषित किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010
एव स्थाई व्यादेश अन्तर्गत धारा 34, 31, 38, 39
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम

मुकदमा सं0:– 27/2022 (मन्नी देवी आदि बनाम दयाराम आदि)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.04.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम राजस्व ग्राम मोहनवाडी की सरहद में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 864/153 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 हैक्टर में वादीगण को हिस्सा 1/12–1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उपपंजीयक कार्यालय से तस्दीक विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को वादीगण के हिस्से भूमि की हद तक शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.04.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested